मध्य प्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन,

//आदेश//

भोपाल,दिनांक 30 जुलाई, 2018

क्रमांक एफ–1(बी) 40/2017/बी–4/दो,:: इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08 जनवरी 2018 द्वारा परिवीक्षाधीन लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2015 के माध्यम से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर, मुख्य सूची से चयनित श्री हर्ष भदौरिया, 511/4 नंदागर इंदौर कनकेश्वरी इंफोटेक के पास इंदौर को सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हुए, खण्डवा पदस्थ किया गया था। जहां इनके द्वारा दिनांक 19.1.2018 को कार्यभार ग्रहण किया गया। इन्होंने जिला लोक अभियोजन अधिकारी, खण्डवा के माध्यम से संचालक, लोक अभियोजन म0प्र को आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया कि इनका चयन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर होने से ए0डी0पी0ओ0 खण्डवा के पद से दिनांक 8.5.2018 से त्याग पत्र स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। इनके द्वारा नियमानुसार एक माह का वेतन चालान के माध्यम से जमा करा दिया है।

2/– संचालक, लोक अभियोजन, म.प्र. के पत्र क्रमांक लोक.अभि.संचा/स्था–4/421 दिनांक 7.6.2018 के अनुसार श्री हर्ष भदौरिया, परिवीक्षाधीन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, खण्डवा द्वारा त्यागपत्र देने के फलस्वरूप इनके द्वारा एक माह का वेतन द्वारा राशि रूपये 38010/– (रूपये अडतीस हजार दस मात्र) जमा कर दी गई है।

3/– श्री हर्ष भदौरिया, परिवीक्षाधीन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, खण्डवा के पद पर नियुक्ति/पदस्थापना हेतु जारी समसमंख्यक आदेश दिनांक 8.1.2018 की कंडिका–6 में निहित प्रावधानों के तहत इन्होंने एक माह का वेतन राशि रूपये 38010/– (रूपये अडतीस हजार दस मात्र) जमा करा दी गई है।

4/– अतः राज्य शासन एतद्द्वारा श्री हर्ष भदौरिया, परिवीक्षाधीन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, खण्डवा का दिनांक 8.5.2018 से त्यागपत्र स्वीकृत किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(श्रीदास)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

क्रमांक एफ–1(बी) 40/2017/बी–4/दो भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2018

प्रतिलिपि :–

1 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग।

2 संचालक, लोक अभियोजन, म.प्र.

3 महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर

4 सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।

5 जिला अभियोजन अधिकारी, खण्डवा

6 सबंधित अधिकारी – श्री हर्ष भदौरिया, परिवीक्षाधीन एडीपीओ खण्डवा – द्वारा संचालक, लोक अभियोजन, म0प्र0

7 आर्डर बुक

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग